



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28042020-219191
CG-DL-E-28042020-219191

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1206]
No. 1206]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 24, 2020/वैशाख 4 1942
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 24, 2020/VAISAKHA 4, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2020

का.आ. 1350(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि उत्तर प्रदेश राज्य के मुज़फ्फरनगर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 58 के कि.मी. 90.220 से कि.मी.131.000 (मेरठ-मुज़फ्फरनगर सेक्शन) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, मुज़फ्फरनगर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी

आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के मुज़फ्फरनगर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 58 के कि.मी. 90.220 से कि.मी.131.000 (मेरठ-मुज़फ्फरनगर सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश		जिले का नाम: मुज़फ्फरनगर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: खतौली					
गांव का नाम: अजीतपुर					
1	67	निजी	कृषि	240.0000000(वर्ग मीटर)	0.0240000
2	93	निजी	कृषि	1,150.0000000(वर्ग मीटर)	0.1150000
3	94/1	निजी	कृषि	380.0000000(वर्ग मीटर)	0.0380000
गांव का नाम: सठेड़ी					
1	20	निजी	कृषि	615.0000000(वर्ग मीटर)	0.0615000
गांव का नाम: शाहबाजपुर तिगाई					
1	127	निजी	कृषि	16.0000000(वर्ग मीटर)	0.0016000
गांव का नाम: शेरपुर					
1	27	निजी	कृषि	500.0000000(वर्ग मीटर)	0.0500000
2	29	निजी	कृषि	150.0000000(वर्ग मीटर)	0.0150000
गांव का नाम: टबिता					
1	24	निजी	कृषि	1,100.0000000(वर्ग मीटर)	0.1100000
कुल				4,151.0000	0.4151

[फा. सं. NHAI/BOT/11013/7/2003/3A]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th April, 2020

S.O. 1350(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building widening/Four-laning etc.), maintenance, management and operation of NH58 in the stretch of land from Km 90.220 to Km 131.000 (Meerut-Muzaffarnagar Section) in the district of MUZAFFARNAGAR in the state of UTTAR PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land. Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, the Special Land Acquisition Officer, Muzaffarnagar in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired, with or without structures falling within the Stretch of the land from Km. 90.220 to Km. 131.000(Meerut-Muzaffarnagar Section) of the National Highway No.58 in the state of UTTAR PRADESH.

State: UTTAR PRADESH		District: MUZAFFARNAGAR			
S. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Khatauli					
Village: Ajeetpur					
1	67	Private	Agriculture	240.0000000(Square Meter)	0.0240000
2	93	Private	Agriculture	1,150.0000000(Square Meter)	0.1150000
3	94/1	Private	Agriculture	380.0000000(Square Meter)	0.0380000
Village: Satheri					
1	20	Private	Agriculture	615.0000000(Square Meter)	0.0615000
Village: Shahbazpur Tigai					
1	127	Private	Agriculture	16.0000000(Square Meter)	0.0016000
Village: Sherpur					
1	27	Private	Agriculture	500.0000000(Square Meter)	0.0500000
2	29	Private	Agriculture	150.0000000(Square Meter)	0.0150000
Village: Tabita					
1	24	Private	Agriculture	1,100.0000000(Square Meter)	0.1100000
Total				4,151.0000	0.4151

[F. No. NHAI/BOT/11013/7/2003/3A]
RAJESH GUPTA, Dy. Secy.